



दी कांगड़ा को-ऑपरेटिव बैंक लि.

सी-29, कम्यूनिटी सैन्टर, पंखा रोड, जनकपुरी, नई दिल्ली.110058

सदस्यों के लिये तुरन्त ऋण सुविधा

अब सदस्य अपनी तुरन्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 2 लाख रू. तक का ऋण अपनी ब्रांच से ही ले सकेंगे। सदस्य डिफाल्ट नहीं होना चाहिए। उसका सिबिल (CIBIL) 750 से कम नहीं होना चाहिए। सदस्य ब्रांच में आकर ऋण फार्म भरे तथा एक जमानत (SURETY) दे कर तुरन्त ऋण प्राप्त कर ले। अधिक जानकारी के लिये ब्रांच मैनेजर से मिलें।

निदेशक मण्डल